भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 558416

निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्चे से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा। नं05:– यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नही किया

Amir Kazim

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 558417

हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य में करेगा। नं06:– यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के समय दिया जावेगा तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:– यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18

BE 558418

सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08:— यह कि प्रथम पक्ष अन्दर मियाद सम्पत्ति निम्नलिखित का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष

Amir kazim

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 558419

करने के पाबन्द होगे यदि परिस्थितिवश प्रथम पक्ष की किसी कमी के कारण या मौके पर उत्पन्न विवाद के कारण प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के हक मे बैनामा नही कर पाते है, तो उत्पन्न समस्या के निपटाने की दिनांक से अन्दर मियाद दो 2 माह बैनामा करने के पाबन्द होंगे। यह कि उक्त शर्तों के दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पावन्द है, और

Amir Kazim

भविष्य मे भी पाबन्द रहेगें। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति:–

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम **सुजडू** परगना [illegible] तहसील व जिला मुजपफरनगर:– जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली के खाता संख्या 638 के नम्बर खसरा **2152/1.0070 व 2154/0.4900 हैक्टेयर** ,दो किते कुल क्षेत्र 1.4970 हैक्टेयर का हक व हिस्सा कुल प्रथम पक्ष यानि **9045/14970** भाग भागानुसार क्षेत्र 0.9045 हैक्टेयर मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

Amir Kazim

साक्षी

साक्षी

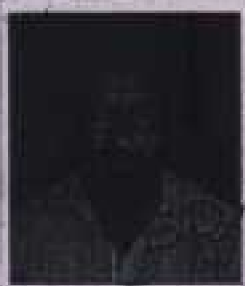

तहरीर ता0:– 28–03–2017 ई0

ड्राफ्टकर्ता:– योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट तहसील सदर मुजपफरनगर

आज दिनांक 28/03/2017 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 9889

पृष्ठ सं. 291 से 364 पर क्रमांक 2010

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती रश्मि प्रभा(नरेश कुमार नि0सहायक)

उपनिबन्धक प्रथम

मुजफ्फरनगर

28/3/2017

कार्यालय उप-निबन्धक प्रथम, मुजफ्फरनगर * उत्तर-प्रदेश * सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

25000
...हजार रुपये

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

F 262198

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक प्रथम

प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा

आवंटित वी. कोड– 1080

महायदा मूल्य	:–	117,60,000/–रूपये
अग्रिम धन	:–	5,00,000/–रूपये
स्टाम्प शुल्क	:–	2,35,200/–रूपये

हम कि मन्जूर खाँ (AADHAR NO. 5516 6339 8112) व मुनाजिर

भारत

रु. 25000

हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 262200

2

खॉ पुत्रगण श्री अब्दुल वहीद व श्रीमति हसीना बेगम पुत्री श्री अब्दुल वहीद व अमीर काज़िम (**AADHAR NO. 9387 5254 7009**) व अमीर कासिम (**AADHAR NO. 7524 9651 0470**) व अमीर गानिम (**AADHAR NO. 4823 9970**

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 262199

3

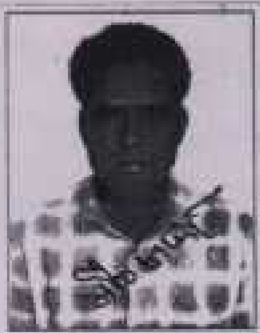

2687) पुत्रगण श्री अमीर अहमद व खलील अहमद (**AADHAR NO. 6171 0518 5975**) व जहीर अहमद (**AADHAR NO. 8859 6890 0226**) व नईम अहमद (**AADHAR NO. 3837 2312 8826**) व मौहम्मद जफर

10 MAR 2017

मुजफ्फरनगर

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

INDIA

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 262201

(AADHAR NO. 3190 0906 7740), पुत्रगण श्री फैजुल हसन व अथर अब्बास (VID NO. JZX2602159) व कमर अब्बास (VID NO.ZGX0163782) व मौहम्मद शोएब पुत्रगण श्री जमील अहमद व श्रीमति

INDIA NON JUDICIAL

भारत

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

F 262202

अफरोजा (**AADHAR NO. 2717 7590 8159**) पत्नी स्वर्गीय श्री जमील अहमद निवासीगण ग्राम सूजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा०लि० (PAN NO-AADCV8074B) वसुन्धरा रैजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग सरकुलर रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

18 MAR 2017

भारत

Rs.
25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 262203

F 262203

द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 262204

7

के कब्जे व अधिकार मे है. और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एंव मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान मे बन्धक नहीं है, और न ही किसी जमानत मे दी हुई है, और जिसके बारे मे प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH F 262205

द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा मे होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारी के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा एक करोड सतरह

INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

F 262206

लाख साठ हजार 117,60,000/–रूपये मे द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारो के प्रति अपनी पूरी जानकारी, और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय,प्रथम पक्ष की

Amir Kazim

सोयब

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BV 279833

निम्नलिखित सम्पत्ति को उक्त मूल्य में क्रय करने के लिये तैयार है, दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनांक **15–09–2018 ई0** तक का समय निश्चित करते है, प्रथम पक्ष ने मुबलिग **पांच लाख 5,00,000/–**रूपये अग्रिम धन में द्वितीय पक्ष से द्वारा चैक एच0डी0एफ0सी0 बैक मुजफ्फरनगर प्राप्त किये है। जो बैनामे के

Amir Kazim

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 912890

निष्पादन के समय जरे कीमत में मुजरा किये जावेगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनो पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओं के पाबन्द रहेगे। नं01:– यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का

Amir Kazim

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 912891

बैनामा तय की गई उक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई

Amir Kazim

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1,000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 912892

आपत्ति न होगी। नं02:-यह कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रथम पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे, तो ऐसी समस्त दशाओ में द्वितीय पक्ष को दिया हुआ अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तो की

Amir Kazim

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 913545

पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं03:– यह कि शेष विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एव रजिस्ट्री का कुल खर्च बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत मे करनी पडी तो जो खर्च अदालत मे

Amir Kazim

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 913546

15

होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। नं04:- यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये